



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237685
CG-DL-E-29072022-237685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3331]
No. 3331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3496(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में NH50 के कि.मी. 323 से कि.मी. 420 (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई, बेल्लारी, एच। चौथा मेन रोड, पांचवां क्रॉस, सामने। गंगा परमेश्वरी कल्याण मंडप, विद्यानगर, बेल्लारी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक में) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14 नवंबर, 2021" को "डेक्कन हेराल्ड" और "विजयवाणी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में NH50 के कि.मी. 323 से कि.मी. 420 (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई, बेल्लारी, एच। चौथा मेन रोड, पांचवां क्रॉस, सामने। गंगा परमेश्वरी कल्याण मंडप, विद्यानगर, बेल्लारी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक में) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बागलकोट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: इलकल				
	गांव का नाम: गोरबल				
1	108	निजी	खेती	0.0202	रेखप्पा लामानी एंस्/ओ लोकप्पा (108/1)
2	91	निजी	खेती	0.0202	गोपालदास करवा एंस्/ओ श्रीनिवास (91/3)
3	91	निजी	खेती	0.0809	1) विरेश संगणला एंस्/ओ वलियप्पा 2) विजया संगणला डबल्यू/ओ विरश्य (91/1) 3) महन्तेस संगणला एंस्/ओ वलियप्पा 4) गंगाम्मा संगणला एंस्/ओ महन्तेस (91/7) 5) शेखरप्पा संगणाल एंस्/ओ वलियप्पा 6) शारदा संगणाल डबल्यू/ओ शेखरप्पा (91/8)) (91/1)
			कुल	0.1213	

[फा. सं. NHAI/LA/PIU-Hospet/Karnataka/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3496(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH50 on the stretch of land from Km. 323 to Km. 420 (Special Land Acquisition Officer, NHAI, Bellary, at 4th Main Road, 5th Cross, Opp. Gangaparameshwari Kalyana Mantappa, Vidhyanagar, Bellary, District Bellary, Karnataka) in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Deccan Herald” and “Vijayavaani” both dated 14th November, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH50 in the stretch of land from Km. 323 to Km. 420 (Special Land Acquisition Officer, NHAI, Bellary, at 4th Main Road, 5th Cross, Opp. Gangaparameshwari Kalyana Mantappa, Vidhyanagar, Bellary, Bellary, District Bellary, Karnataka) in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: BAGALKOT			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ilkal				
	Village: Gorabal				
1	108	Private	Dry	0.0202	Rekhappa Lamani s/o Lokappa 108/1
2	91	Private	Dry	0.0202	Gopaladasa Karava S/o Srinivasa 91/3
3	91	Private	Dry	0.0809	1) Viresh Sanganala S/o Valiyappa 2) Vijaya Sanganala W/o Virashya (91/1) 3) Mahanthesha Sanganala S/o Valiyappa 4) Gangamma Sanganala S/o Mahanthesha (91/7) 5) Shekharappa Sanganal S/o Valiyappa 6) Sharda Sanganal W/o Shekharappa (91/8)) 91/1
			TOTAL	0.1213	

[F. No. NHAI/LA/PIU-Hospet/Karnataka/3D]

RAJESH GUPTA, Director